2019/00041

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 30/2019 (अपील)

उनवान

चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री किशन लाल जाति धाकड निवासी ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- 1. श्री दयाराम सैन (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 26.02.2018 मिसल नम्बर 1743/2018
न्यायालय नायब तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 22.01.2020

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं न्याय तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद के ख0 नं0 668 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि अतिक्रमण करने पर निर्णय दिनांक 26.02.2018 से 50 रूपये जुर्माना एवं फसल नीलामी का 150/-रूपये तथा 60 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है जो सर्वथा गलत है । जबकि उक्त आराजी अपीलान्ट द्वारा भेरूलाल आत्मज रामभरोस, जानकी बाई पत्नी रामभरोस जाति ब्रा0 निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद से दिनांक 21.10.2003 को जर्ये इकरारनामा खरीद की है । अपीलान्ट ने कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है, सेटलमेन्ट की गलती से उक्त आराजी गैर मु0 रास्ता दर्ज की गई है जो पूर्णतया गलत है । साथ मे अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट किया जिसमें अंकित किया है कि निर्णय की जानकारी दिनांक 26.02.18 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिसपर दिनांक 25.07.2019 को नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की गई । अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कंडोन की जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार किये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2018 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद के ख0 नं0 668 रकबः 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि अतिक्रमण करने पर निर्णय दिनांक 26.02.2018 से 50 रूपये जुर्माना एवं फसल नीलामी का 150/–रूपये तथा 60 दिन की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है । जबकि उक्त आराजी अपीलान्ट द्वारा भेरूलाल आत्मज रामभरोस, जानकी बाई बेवा रामभरोस जाति ब्रा0 निवासी डूंगरज्या तहसील दीगोद से दिनांक 21.10.2003 को जर्ये इकरारनामा खरीद की है । अपीलान्ट ने कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, सेटलमेन्ट की गलती से उक्त आराजी गैर मु0 रास्ता दर्ज की गई है जो पूर्णतया गलत है ।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा जाहिर किया कि अपीलान्ट द्वारा सेटलमेन्ट की गलती से गैर मु0 रास्ता होना बताया है तो इस संबंध मे अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था । वर्तमान मे वादग्रस्त भूमि गैर मु0 रास्ता दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचेत समझते है । अपीलान्ट की भूमि कम करना तथा सेटलमेन्ट की गलती से गैर मु0 रास्ता गलत रूप से दर्ज होना बताया है । इस संबंध मे सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद दायर करने पर ही अपीलांट को अनुतोष प्राप्त हो सकता है । वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे विवादित आराजी राजकीय भूमि किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज है । जिस पर अपीलांट अतिक्रमी की हेसियत से काबिज है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2018 में कोई त्रुटि नही होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8, निर्णय आज दिनांक 22.01..2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा